

अनुदान संख्या 99 - पर्यटन मंत्रालय
GRANT No. 99 - MINISTRY OF TOURISM

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving - (हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	2483,12,00		
		2483,13,00	453,18,18	-2029,94,82
पूरक	Supplementary	1,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			1685,07,00

पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	1,77,00		
		5,27,00	4,17,39	-1,09,61
पूरक	Supplementary	3,50,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			78,00

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ: —

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

				(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"			
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas			
मू.	O.	23800.00		
	
पु.	R.	-23800.00		

कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
------------------------------	--	--

शीर्ष मुख्य शीर्ष “3452” पर्यटन	Head Major Head “3452” Tourism	
मू.	O.	222784.00
पू.	S.	1.00
पु.	R.	-144665.00

(I) ₹23854.00 लाख का प्रावधान छह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹23800.00 लाख मुख्य शीर्ष “2552” के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:—

(का) “सामान्य (पर्यटन)– प्रशिक्षण– आईएचएमएस/ एफसीआई/ आईआईटीटीएम/ एनसीएचएमसीटी को सहायता” – ₹1000.00 लाख;

(खा) “सामान्य (पर्यटन) – प्रचार और प्रसार – आतिथ्य सहित घरेलू प्रचार और प्रसार” – ₹1000.00 लाख; और

(गा) “पर्यटक अवसंरचना – पर्यटक आवास – स्वदेश दर्शन – थीम आधारित पर्यटक सर्किट का एकीकृत विकास” – ₹21800.00 लाख।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष “3452” के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई: –

(I) Provision of ₹23854.00 lakhs remained wholly unutilized under six heads; of these ₹23800.00 lakhs accounted for under Major Head “2552” - under the following heads: -

(A) “General (Tourism) - Training - Assistance to IHMS/FCI/IITTM/NCHMCT” - ₹1000.00 lakhs;

(B) “General (Tourism) - Promotion and Publicity - Domestic Promotion & Publicity including Hospitality - ₹1000.00 lakhs; and

(C) “Tourist Infrastructure - Tourist Accommodation - Swadesh Darshan - Integrated Development of Theme-Based Tourist Circuits” - ₹21800.00 lakhs.

Provisions under the above three heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head “3452” - savings occurred under the following heads: -

- (का) “पर्यटक बुनियादी ढांचा” –
- (क) “पर्यटक केंद्र” –
- (i) “पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता” – ₹6252.07 लाख की बचत (₹9000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजना कार्यान्वयन की धीमी प्रगति, केंद्रीय एजेंसियों द्वारा निधियों की कम आवश्यकता और उपयोग प्रमाण पत्र और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने में विलंब होने के कारण हुई।
- (ii) “स्वदेश दर्शन – थीम आधारित पर्यटन सर्किटों का एकीकृत विकास” – ₹137112.69 लाख की बचत (₹142900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजना के लिए पर्यटन अनुभव संवर्धन एवं प्रबंधन एजेंसी को काम पर रखे जाने के प्रस्ताव संबंधी अनुरोध और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के प्रस्ताव को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब होने के कारण हुई।
- (iii) “तीर्थयात्रा पुनरुद्धार और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रसाद)” – ₹15906.88 लाख की बचत (₹24000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावों, उपयोग प्रमाण पत्रों और समापन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में देरी किए जाने के कारण हुई।
- (ख) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना – स्वदेश दर्शन – थीम आधारित पर्यटन सर्किट का एकीकृत विकास” – ₹10163.14 लाख की बचत (दिसंबर, 2024 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹10301.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजना के लिए
- (A) “Tourist Infrastructure” -
- (a) “Tourist Centre” -
- (i) “Assistance to Central Agencies for Tourism Infrastructure Development” - saving of ₹6252.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9000.00 lakhs) was due to slow pace of project implementation, less-requirement of funds by Central agencies and delay in submission of utilization certificates and necessary documents.
- (ii) “Swadesh Darshan - Integrated Development of Theme-Based Tourist Circuits” - saving of ₹137112.69 lakhs (against the sanctioned provision of ₹142900.00 lakhs) was due to delay in finalization of request for proposal for engaging Tourism Experience Development & Management Agency (TEDMA) and Detailed Project Reports (DPRs) for the project.
- (iii) “Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual Heritage Augmentation Drive (PRASHAD)” - saving of ₹15906.88 lakhs (against the sanctioned provision of ₹24000.00 lakhs) was due to delay in submission of proposals, utilization certificates and closure documents by State Governments.
- (b) “Tribal Area Sub-Plan - Swadesh Darshan - Integrated Development of Theme-Based Tourist Circuits” - saving of ₹10163.14 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹10301.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained

पर्यटन अनुभव संवर्धन और प्रबंधन एजेंसी (टीईडीएमए) को शामिल करने के लिए प्रस्ताव के अनुरोध को अंतिम रूप देने में देरी, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) और पीएम-जेयूजीए के दिशानिर्देशों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

in December, 2024) was due to delay in finalization of request for proposal for engaging Tourism Experience Development & Management Agency (TEDMA), Detailed Project Reports (DPRs) for the project and non-finalization of guidelines of PM-JUGA.

(खा) “सामान्य” –

(B) “General” -

(क) “निदेशन एवं प्रशासन – भारत में पर्यटन कार्यालय” – ₹511.91 लाख की बचत (₹2745.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरने, खरीद एवं मरम्मत कार्य के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने तथा कम दौरे किए जाने के कारण हुई।

(a) “Direction and Administration - Tourist Offices in India” - saving of ₹511.91 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2745.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant post, requirement of less funds towards procurement and repair work and less tours undertaken.

(ख) “प्रशिक्षण-आईएचएमएस / एफसीआई / आईआईटीएम / एनआईडब्ल्यूएस / एनआईएस / एनसीएचएमसीटी को सहायता” – ₹1460.00 लाख की बचत (₹3510.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय नोडल एजेंसियों के पास अव्ययित शेष राशि उपलब्ध होने के कारण हुई।

(b) “Training - Assistance to IHMS/FCI/ IITTM/NIWS/NIAS/NCHMCT” - saving of ₹1460.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3510.00 lakhs) was due to availability of unspent balances under Central Nodal Agencies (CNA).

(ग) “प्रोत्साहन एवं प्रचार – प्रत्यक्ष व्यय” – ₹7869.39 लाख की बचत (₹19699.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम घरेलू प्रचार अभियान किए जाने, प्रचार सामग्री के कम उत्पादन और कम प्रचार कार्यक्रमों का आयोजन किए जाने के कारण हुई।

(c) “Promotion and Publicity - Direct Expenditure” - saving of ₹7869.39 lakhs (against the sanctioned provision of ₹19699.00 lakhs) was due to less domestic promotional campaign undertaken, reduced production of publicity material and conduction of less publicity events.

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹436.73 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 13 प्रतिशत है।

(III) Under one head saving of ₹436.73 lakhs occurred constituting 13 percent of the sanctioned provision.

2. उपर्युक्त बचत मुख्य शीर्ष “3452” – “सामान्य – निदेशन और प्रशासन – पर्यटन महानिदेशालय” के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गई। ₹704.18 लाख का अधिक व्यय (₹5243.00 लाख के स्वीकृत

2. The above savings were partly offset by excess under Major Head “3452” - “General - Direction and Administration - Directorate General of Tourism” - excess of ₹704.18 lakhs (against the

प्रावधान की तुलना में) चंद्रलोक भवन, पीटीआई भवन और आईटीओ जनपथ भवन के किराए के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (₹109.61 लाख) दिसंबर, 2024 में प्राप्त किए गए ₹350.00 लाख के पूरक अनुदान का 31 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 21 प्रतिशत थीं।

sanctioned provision of ₹5243.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards rent of Chandralok Building, PTI Building and ITO Janpath Building.

3. In the capital section of the grant, the overall savings (₹109.61 lakhs) constituted 31 percent of the supplementary grants of ₹350.00 lakhs obtained in December, 2024 and 21 percent of the total sanctioned provision.
